राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविधि प्रार्थना–पत्र संख्या (1–8) 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 व 126/2014...... जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स आशीर्वाद एन्टरप्राईजेज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की त.मील में जारी हुए
03/12/2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** ये आठ विविध प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1860/2014, 1861/2014, 1862/2014, 1863/2014, 1864/2014, 1865/2014, 1866/2014 व 1867/2014 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.11.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेशों से प्रकरणों में बकाया वसूली राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 28.11.2014 तक बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अवधि में अपीलार्थी द्वारा बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा ये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने हेतु अवधि बढ़ाये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ठ परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं तथा अपील संख्या 1860/2014, 1861/2014, 1862/2014, 1863/2014, 1864/2014, 1865/2014, 1866/2014 व 1867/2014 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.11.2014 में दिये गये स्थगन के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत किये जाने की अवधि 03/01/2015 तक बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि तक समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश दिनांक 10.11.2014 से स्थगित राशियां नियमानुसार वसूलनीय होंगी। इस आदेश की एक–एक प्रति अपील पत्रावली संख्या 1860/2014 से 1867/2014/जयपुर में संलग्न की जावे। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं। (हस्ताक्षर) सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर (हस्ताक्षर) सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	